


मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 26.4.12

क्रमांक एफ 44-109/2007/20-2 : राज्य शासन एतद् द्वारा जिलों में कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी/उप संचालकों की गोपनीय चरित्रावली पर द्वितीय मतांकन करने हेतु पुनरीक्षक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर को आधिकृत किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(बाबूलाल जैसवार)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्रमांक एफ 44-109/2007/20-2
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 26.4.12

1. विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र०भोपाल ।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र, म०प्र०भोपाल ।
6. समस्त, संभागीय आयुक्त, म०प्र० ।
7. समस्त संभागीय संगुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म०प्र० ।
8. समस्त कलेक्टर, म०प्र० ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/उप संचालक म०प्र० ।
10. गार्ड फाइल ।

की और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ.क. स्थापना-1/राज/गो.च./44/06-12/766

भोपाल, दिनांक 30-5-2012

प्रतिलिपि :-

- 1/ समस्त संभालीय आयुक्त म०प्र०
 - 2/ समस्त जिला कलेक्टर, म०प्र०
 - 3/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म०प्र०
 - 4/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म०प्र०
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु !


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश